ORDER SHEET

CNR No: 1101004500 2026

MJCR 769/2026

शासन बनाम अज्ञात

Case No ---------of 2026

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
11.08.2026	~~आरक्षी केन्द्र पीथमपुर सेक्टर 1 जिला धार के~~ आरक्षक निलेश क्रं.431 ने थाना पीथमपुर सेक्टर–1 जिला धार के अपराध क्रं. 156/2025 अंतर्गत धारा 303 (2) बी.एन.एस. में यह ख़ात्मा प्रतिवेदन क्रमांक 44/25 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुमोदन उपरांत स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रकरण विविध आपराधिक पंजी में दर्ज किया जाये। फरियादी **संजय (अ.सा.–1)** उपस्थित, उनके खात्मा कथन अंकित किये गये। प्रकरण साक्षी धर्मेन्द्र केवट के कथन एवं खात्मा पर विचार हेतु नियत किया जाता है। साक्षी धर्मेन्द्र केवट को सूचना पत्र जारी किया जावे। प्रकरण साक्षी धर्मेन्द्र केवट के कथन एवं खात्मा पर विचार हेतु दिनांक 12.08.2026 को पेश हो। बार्बी जुनेजा अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार जिला धार	संजय
12-8-26	राज्य द्वारा एडीपीओ उप.। प्रकरण खात्मा आवेदन पर विचार हेतु नियत है। प्रकरण में खात्मा आवेदन पर साक्षी **धर्मेन्द्र केवट (अ.सा.–2)** के खात्मा कथन अंकित किये गये है। केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाहन **मालिक/फरियादी धर्मेन्द्र** की मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.–10–झेड.बी.–2791 की चोरी हो गयी थी, जिसके संबंध में फरियादी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करायी थी, पुलिस द्वारा फरियादी के उक्त वाहन एवं अज्ञात अभियुक्त की	

तलाश की गई है संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो उक्त वाहन एवं आरोपी के संबंध में कोई जानकारी अनुसंधान के दौरान प्राप्त नहीं हुई है।

अतएव इस न्यायालय को केस डायरी के परिशीलन से यह विश्वास हो गया है कि उक्त वाहन एवं अभियुक्त की शीघ्र जानकारी होने की संभावना नहीं है। खात्मा स्वीकृत है। फरियादी के द्वारा भी खात्मा स्वीकृति पर कोई आपत्ति नहीं की है। अतएव म.प्र.पुलिस रेग्यूलेशन नियम 788 को दृष्टिगत रखते हुऐ थाना पीथमपुर सेक्टर–1 ज़िला धार के अपराध क्रमॉक 156/25 धारा 303(2) बी.एन.एस. में प्रस्तुत खात्मा स्वीकृत किया जाता है।

केस डायरी पर टीप अंकित हो कि भविष्य में आरोपी अथवा सम्पत्ति की जानकारी मिलने पर पुलिस अनुसंधान प्रारंभ करने हेतु स्वतंत्र रहेगी।

केस डायरी वापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम विविध आपराधिक पंजी से कम कर विधिवत रुप से अभिलेखागार भेजी जावे।

बार्बी जुनेजा अग्रवाल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
धार ज़िला धार